## फर्द अहकाम

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मैसर्स वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल "A" Wing नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी मुम्बई–400015, कार्यालय वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर–जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राम धुन्धवाल ।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री राजेन्द्र सिंह नि. नांदोडा का खेडा, नांदोडा मजा, राजसमंद, पट्टा नं. 3618, ग्राम अभय सिंहजी का खेडा, ग्रा.पं. बडारड़ा पं.स. राजसमंद, खेडा देवी मंदिर के पास, राजसमंद राजस्थान–313324

   (ऋणी)

2. श्रीमती लक्ष्मीबाई, नि. नांदोडा का खेडा, नांदोडा मजा, राजसमंद, पट्टा नं. 3618, ग्राम अभय सिंहजी का खेडा, ग्रा.पं. बडारड़ा पं.स. राजसमंद, खेडा देवी मंदिर के पास, राजसमंद राजस्थान–313324

   (सह–ऋणी)

3. श्री पर्वत सिंह, नि. नांदोडा का खेडा, नांदोडा मजा, राजसमंद, पट्टा नं. 3618, ग्राम अभय सिंहजी का खेडा, ग्रा.पं. बडारड़ा पं.स. राजसमंद, खेडा देवी मंदिर के पास, राजसमंद राजस्थान–313324

   (सह–ऋणी)

4. श्रीमती डिम्पल कंवर, नि. नांदोडा का खेडा, नांदोडा मजा, राजसमंद, पट्टा नं. 3618, ग्राम अभय सिंहजी का खेडा, ग्रा.पं. बडारड़ा पं.स. राजसमंद, खेडा देवी मंदिर के पास, राजसमंद राजस्थान–313324

   (सह–ऋणी)

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

**पत्रावली संख्या 71/2022**

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 07.11.2022**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर (राज.) ने दिनांक 16.06.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। | - |

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 700,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 28–07–2018 को जरिये ऋण खाता संख्या HL0000000017521 से ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया । अप्रार्थी ऋणियों/सहऋणीयों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अन्य संपत्तियों के साथ साथ श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री भेरूसिंह राजपूत की संपत्ति जो कि पट्टा नं. 3618, मिसल नं. 69 दिनांक 08/09/2017 ग्राम अभय सिंह जी का खेड़ा, ग्राम पंचायत बड़ारड़ा, पंचायत समिति राजसमन्द में खेड़ा देवी मंदिर के पास राजसमन्द राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2266.56 वर्गफीट है। जिसकी चारों दिशाएं निम्न है:– पूर्व में माता जी स्थान, नाथू सिंह का मकान, पश्चिम में रतन सिंह/उदय सिंह का मकान उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में स्वयं का भूखण्ड । उक्त ऋण पेटे अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त आवासीय जायदाद को साम्यिक बंधक रखा गया है, किंतु अप्रार्थी/ऋणी उक्त ऋण का भुगतान प्रार्थी को नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 13.11.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 13.11.2021 को बकाया राशि 7,58,296/– रूपये देय है व दिनांक 13.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी/सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारतीय डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से मजा नांदोडा के पत्ते पर दिनांक 20.12.2021 को नोटिस भिजवाये गये। नोटिस डिलिवर हो जाने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड को भुगतान नहीं करने से चरण संख्या 2 में वर्णित बंधक रहनशुदा संपति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

दिनांक 16 अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

**Sec. 12-** In the principal Act, in section, 14, in sub-section (1)-

(i) in the second proviso, after the words "secured assets", **the words "within a periond of thirty days from the date of application" shall be inserted**

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted

न्यायालय जिला कलक्टर

namely- "Provided further that if no order is passed by the Chief metropolitan Magistrate or District Magistrate within the period of thirty days for reasons beyond his control, he may after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days".

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर (राज.) द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री भेरूसिंह राजपूत के स्वामित्व एवं आधिपत्य का पट्टा नं. 3618, मिसल नं. 69 दिनांक 08/09/2017 ग्राम अभय सिंह जी का खेड़ा, ग्रा.पं. बड़ारड़ा, पं.स. राजसमन्द में खेड़ा देवी मंदिर के पास राजसमन्द पर स्थित संपति जिसमें भूमि भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 2266.56 वर्गफीट है। जिसके पड़ौस निम्नानुसार है:–

**पूर्व में माता जी स्थान, नाथू सिंह का मकान,**
**पश्चिम में रतन सिंह/उदय सिंह का मकान**
**उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में स्वयं का भूखण्ड ।**

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर (राज.) के प्राधिकृत अधिकारी को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

**(नीलाभ सक्सेना)**
**जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द